



बिहार स्टेट रोड डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-कटिहार ऐट पूर्णिया

पता— C/o श्री प्रवाल कुमार, जिह, शिक्षण, पावरसील के नवदीक, (एन० एच०-३१ वायपाता, पूर्णिया-८५४३०३
ईमेल आईडी— dgmptukatihar@gmail.com फोन ९४६१३०६७१५

पत्रांक: ४५६ (३८१) / पूर्णिया

दिनांक: ०६/११/२०२३

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (तक0),
पी०आई०य० कटिहार ऐट पूर्णिया।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)—सह—
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:— राज्य उच्च पथ सं०— ९९ (बायसी—बहादुरगंज—दिघलैंक) पथ उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु
(०+०० कि० मी० से ४५+२८० कि०मी०) तक Protected-Forest पथांश वन (संरक्षण) अधिनियम,
१९८० के तहत ६९.१७८ हेठल वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन
प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:— १. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्र
संख्या— व०स०/२७/२०१७-७४४, दिनांक—१९.१०.२०२३

२. MOEFCC, IRO, Ranchi के पत्रांक—FP/BR/Road/21381/2016/1468, दिनांक—०४.१०.२०२३.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य उच्च पथ सं०— ९९
(बायसी—बहादुरगंज—दिघलैंक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु (०+०० कि० मी० से ४५+२८० कि०मी०)
तक Protected-Forest पथांश का वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के तहत ६९.१७८ हेठल वन भूमि अपयोजन ६९.१७८
हेठल वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर MOEFCC रांची के प्रसंगाधीन पत्र (२) के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान
किये जाने के उपरान्त APCCF (CAMPA) -cum- Nodal officer(FC), EPCC Department, Bihar, Patna के
प्रसंगाधीन पत्र (१) के द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक दर्तीकरण हेतु
रु० ३,२३,२९,४९४/- (लपये तीन करोड़ तेर्हस लाख उनलीस हजार चार सौ चौरानवे) मात्र एवं नेट प्रजेंट मैल्यू
(NPV) के मद में राशि रु० ७,१४,९३,९५८/- (लपये सात करोड़ चौदह लाख तेरानवे हजार नौ सौ अंटावन) मात्र
जमा करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में CA एवं NPV मद में
कुल राशि रु० १०,३८,२३,४५२/- (लपये दस करोड़ अड़तीस लाख तेर्हस हजार चार सौ बावन) मात्र मंत्रालय के
तेलसाईट Parivesh.nic.in से E-Chalan Generate कर Bihar CAMPA के Account में NEFT Mode हारा दिनांक—
०६.११.२०२३ को Fund Transfer किया जा चूका है जिसका UTR No. CNRBR52023110667056437 (E-Chalan एवं
UTR की मूल प्रति संलग्न) है। प्रसंगाधीन पत्र (२) के भाग—A में उल्लेखित शातौं १-८ एवं भाग—B में उल्लेखित
शातौं १-१० का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनुरोध है कि राज्य उच्च पथ सं०— ९९ (बायसी—बहादुरगंज—दिघलैंक) पथ उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य
हेतु (०+०० कि० मी० से ४५+२८० कि०मी०) तक Protected-Forest पथांश का वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर
अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,


०६.११.२३

उप महाप्रबंधक (तक0)

Compliance Report to In-Principle Approval on Forest Land Diversion Proposal for Improvement / Widening & Strengthening Work of SH-99 (Balsi – Bahadurganj - Dighalbank road) from Ch.- 00.000 Km to 45.280 Km

Sl. No.	A:- Conditions which need to be complied	Compliance report
1	The cost of compensatory afforestation on the CA land (139 ha) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	In compliance to directions received from APCCF (CAMPA)-cum- Nodal Officer (FC), EFCC, Department, Bihar, Patna vide letter no. 744, dt. 19.10.2023, Cost of CA amounting Rs. 3,23,29,494/- and charge against NPV amounting Rs. 7,14,93,958/- Total Amount of Rs. 10,38,23,452/- (Rupees Ten Crore Thirty Eight Lac Twenty Three Thousand Four Hundred Fifty Two) only has been deposited to Bihar CAMPA account through RTG/NEFT after generating e-challan from e- portal (https://parivesh.nic.in/) portal vide UTR No. CNRBR52023110667056437, dt. 06.11.2023. The copy of e-challan and UTR has been uploaded on e-portal. Original copy of e-challan and UTR is enclosed herewith this compliance report.
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 69.178 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011-FC(Vol- I) dated 06/01/2022 in this regard.	
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred /deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	
4	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.	To be uploaded by State Forest Department.
5	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA Certificates issued from the District Collector, Purnea and Kishanganj have already been submitted to Forest Department. Copy of FRA Certificates enclosed.
6	A Muck-Disposal Plan should be prepared by User Agency to ensure that the muck/wastage generated should be disposed on in proper manner. Such plan, duly approved by the concerned DFO, should be submitted to this office before soliciting Working Permission.	The proposed alignment is entirely located in plain area having no scope of tunnelling, hill cutting and accordingly, no muck will be generated due to widening/upgradation of proposed road. However, some construction debris are likely to be generated which will be utilised (like levelling, making approach road, haul road, worker compound/construction yard etc.) in the project work and no disposal is required. Hence, no muck disposal plan is required.
7	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated- 28.03.2019.	Agreed
8	The Compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Agreed


(L)

Compliance Report to In-Principle Approval on Forest Land Diversion Proposal for Improvement/Widening & Strengthening work of SH-99 (Balsi-Bahadurganj-Dighalbank road) for Ch.- 00.000 Km to 45.280 Km.

Sl. No.	B:- Conditions which need to be complied	Compliance report
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 139 ha degraded forest land Site - 1. Matathan Fullidumar Teliyakhar etc. PF, Compartment No. 1802P, 1819P (Area: 65 ha) & 2. Katasakara PF, Compartment No. 1319, 1935, (Area: 74 ha) under Kaimur Forest Division at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	Agreed
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	The user agency undertake to deposit additional NPV charged by State Government which becoming due after finalization of the same by Hon'ble Supreme Court of India.
4	Modern technology will be used to translocate to the extent possible only those trees (having girth less than 60 cm) which are unavoidable and needs to be removed so that minimum numbers of trees are felled.	Agreed
5	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the large number of trees affected for the project, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocate to the extent possible at the cost of user agency.	Agreed
6	The State Forest Department should raise strip plantation on both sides of the road as per the IRC norms.	Agreed
7	(a) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna. (b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	Agreed
8	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	Agreed

(2)

9	<ul style="list-style-type: none"> (a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. (b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life / requirement. (c) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change. 	Agreed
10	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Agreed


 06.11.23
D.G.M. (Tech.)
 BSRDCL
 PIU-Katihar at Purnea



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-11-2023

Agency Name.	BIHAR STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION
Application No.	6121381871
MoEFISG File No.	FPVSRROAD/21381/2918
Location.	BIHAR
Address:	BSDCL Ltd., Project Implementation Unit-Madhupura Madhupura
Amount (In Rs)	103823452/-

Amount In Words : Ten Crore Thirty-Eight Lakh Twenty-Three Thousand Four Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UDIN0996335
Pay to Account No.	150626121381871 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India POC Centre, 21/F, 11 Floor, Jalita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 01-11-2023

Agency Name.	BIHAR STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION
Application No.	6121381871
MoEFISG File No.	FPVSRROAD/21381/2918
Location.	BIHAR
Address:	BSDCL Ltd., Project Implementation Unit-Madhupura Madhupura
Amount (In Rs)	103823452/-

Amount In Words : Ten Crore Thirty-Eight Lakh Twenty-Three Thousand Four Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UDIN0996335
Pay to Account No.	150626121381871 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India POC Centre, 21/F, 11 Floor, Jalita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

For Bihar State Road Dev. Corp. Ltd.

Abhishek Kumar
Manager (Tech.)

DGM (Tech.)

UTR NO
CNRBR 52023110667056437



समाहरणालय, किशनगंज
पिशनगंज - 855107
(जिला राजस्व प्रशासन)

पुराण 06456-222530 (मार्गी)
06456-225480 (कार्यालय)
06456-222535 (आवासी)
06456-222626 (फैक्टरी)

A-31

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, किशनगंज के तहत ऐतिहासिक परियोजना निर्माण हेतु
FRA-2006 का प्रमाण-पत्र

(भारत सरकार पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014
को निर्गत दिशा-निर्देश के तहत)

संख्या... १४३.../जिरा०, दिनांक- १०..../.... ६..../२०२२

प्रमाणित किया जाता है कि किशनगंज जिला में प्रयोक्ता एजेंसी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऐतिहासिक परियोजना राज्य उच्च पथ संख्या-99 (वायसी अमौर- बहादुरगंज-दिघलबैंक) पथ निर्माण स्थल कुल किलोमीटर 13.245 में पड़नेवाले पथ/नहर, तट पर अवस्थित सुरक्षित बन भूमि के 19.337 हेठल कवाह के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर बन प्रमंडल पदाधिकारी, अटरिया के पत्रांक 1223, दिनांक 23.05.2022 द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित ऐतिहासिक विकास परियोजना के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में बन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखत आबादी नहीं है।

स्थान :: किशनगंज
तिथि :: ०९-०६-२०२२

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

520

Form-I
(For Linear Projects)
Government Of Bihar
Office of the District Collector, Purnea

No.-2492

Dated :.....09.12.2022.....


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No.-11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 ('FRA', for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherin MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 49.841 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of B.S.R.D.C Ltd. P.I.U-Katithar (name of user agency) for Road Upgrade/Widening SH-99 (Baisi-Amour-Bahadurganj-Dighalbank) Project (purpose for diversion of forest land) in Purnea District falls within jurisdiction of Rauta and Raiber Gram Panchayat(s) in Balsa tehsils/Anchal. and Rangralya Lal Toli Gram Panchayat(s) in Amour tehsils/Anchal.

It is Further certified that-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 49.841 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure...01.....to47.....annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural Communities.

Encl: As Above.


06/12/22
District Magistrate,
Purnea

सुहर्ष भगत, मा०प्र०स०

**जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता
पूर्णिया (बिहार)**



Tel 06454-242501/242522
Fax 06454-242599
Email dm-purnea.bih@nic.in

फोन 06454-242501/242503/242522

फैक्स 06454-242599/242500

ई-मेल dm-purnea.bih@nic.in

पत्रांक- 2491 /सा०,

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया

पूर्णिया, दिनांक ०९/०६/२०२१

विषय :-

पूर्णिया जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं०-९९ (बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलबैंक) के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अन्तर्गत 49.841 हेठले वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्र सं०-१३४६, दिनांक-०६.०६.२०२२

महाफ़ल्य,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में पूर्णिया जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं०-९९ (बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलबैंक) के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अन्तर्गत 49.841 हेठले वन भूमि अपयोजन हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) -सह- नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना का ज्ञापांक-५०५, दिनांक-१८.०६.२०२१ के आलोक में FRA 2006 प्रमाण-पत्र मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु योजी जा रही है।

अनुलग्नक :- यथोक्त !

विश्वासभूजन

जिला पदाधिकारी
पूर्णिया

520

Form-I
(For Linear Projects)
Government Of Bihar
Office of the District Collector, Purnea

No.-2492

Dated :- 09.12.2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No.-11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 ('FRA', for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherin MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 49.841 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of B.S.R.D.C Ltd. P.I.U-Katithar (name of user agency) for **Road Upgrade/Widening SH-99 (Baisi-Amour-Bahadurganj-Dighalbank) Project** (purpose for diversion of forest land) in Purnea District falls within jurisdiction of Rauta and Raiber Gram Panchayat(s) in Baisa tehsils/Anchal. and Rangraiya Lal Toli Gram Panchayat(s) in Amour tehsils/Anchal.

It is Further certified that-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 49.841 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure...01.....to ..47....annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural Communities.

Encl: As Above.

06/12/22
District Magistrate,
Purnea

श्री सुहर्ष भगत, जाठ०से०, जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 07.11.2022 को 11:30 बजे पूर्वाहन समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी में।

1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया - सदस्य
2. अपर समाहर्ता, पूर्णिया - सदस्य
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी - सदस्य
4. जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया - सदस्य
5. श्री अशोक कुमार हौसदा, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं००८, (प्रखण्ड-धमदाह) - सदस्य
6. श्री संजीव कुमार, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं०२४, (प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व) - सदस्य
7. श्रीमती सुलेखा देवी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं०२०, (प्रखण्ड-जलालगढ़) - सदस्य

बैठक में उपरोक्त सभी सदस्य उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त जिला वनाधिकार समिति के दायित्वों एवं कर्तव्यों के संबंध में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया।

बैठक में पूर्णिया जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं०९९ (बायसी-अमीर-बहादुरगंज-दिघलवैंक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 अन्तर्गत ४९.८४। हेठो वन धूमि का अपर्योजन प्रस्ताव पर FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त पंचायत, प्रखण्ड एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्राप्त पारित प्रस्ताव/ जनापति पर उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया गया।

प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत रीटा एवं राचबेर के प्रस्ताव को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा तथा ग्राम पंचायत रंगरेडा लाल टोली के प्रस्ताव को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमीर द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी को उपलब्ध कराया गया। ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव/जनापति को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति के अध्यक्ष, अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्रस्ताव हस्तगत कराया गया।

बैठक में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी से प्राप्त ग्राम पंचायत स्तरीय प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा प्राप्त प्रस्ताव को अनुगोषित करने एवं उक्त परियोजना के निमित्त FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सहमति दी गयी।

बैठक में उपस्थित अपर समाहर्ता, पूर्णिया को उक्त परियोजना के निमित्त FRA-2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अधिलम्ब संचिका उपस्थापित करने हेतु निदेशित किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

प्रभासी पदाधिकारी

जिला समान्य शाखा

पूर्णिया ०१.११.२२

अपर समाहर्ता
पूर्णिया

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष

जिला वनाधिकार समिति, पूर्णिया

5*18

ज्ञापांक - २३५। सा०, पूर्णिया दिनांक - २८.११.२०२२-

प्रतिलिपि :- श्रीमती सुलेखा देवी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं०-२०, (प्रखण्ड-जलालगढ़) को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- श्री सजीव लुमार, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं०-२४, (प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व) को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- श्री अशोक कुमार हाँसदा, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं०-०८, (प्रखण्ड-धमदाहा) को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा एवं अमौर को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी को सूचनार्थ प्रेषित ।


प्रतिलिपि :- जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित ।


प्रतिलिपि :- अपर समाहत्ता, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- बन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया बन प्रमण्डल, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (बन संरक्षण), विहार पट्टना को उनके ज्ञापांक-५०५, दिनांक-१८.०६.२०२१ के ऋग्म में सूचनार्थ प्रेषित ।


प्रभारी पदाधिकारी
जिला सामान्य शाखा
पूर्णिया


अपा० समाहत्ता
पूर्णिया


जिला पदाधिकारी-राह-अध्यक्ष
जिला वनाधिकार समिति, पूर्णिया

3854
13/10/22

कुमारी तोसी, बिप्र० स०
अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी
(पूर्णिया) MOB-9473191362



Kumari Tosi, (B.A.S)
Sub-Divisional Officer, Baisi
(Purnea) (Email-sdo.baisee@gmail.com)

पत्रांक ५४१५

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य शाखा,
पूर्णिया।

बायसी दिनांक - ०४/१०/२२

राज्य उच्च पथ सं०-९९ (बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलैंक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु पूर्णिया जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन मूमि का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति गठन के संबंध में।

जिला पदाधिकारी महोदय पत्रांक-1651/ सा०, दिनांक-01.08.22

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि ५४-९९ (बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलैंक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु पूर्णिया जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन मूमि का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति का गठन के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर को पत्रांक-८७७, दिनांक-13.09.22 में प्रतिवेदित किया है कि पलसा ग्राम अन्तर्गत वाडे सं०-०१, ०२ एवं ०३ में अनुसूचित जनजाति की आबादी उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जाति उपलब्ध नहीं रहने के कारण वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति का गठन समव नहीं है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासमाजन,

०४/१०/२२

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बायसी।

श्री रनजीत कुमार सिंह,

प्रखंड विकास पदाधिकारी



Shri Ranjeet Kumar Singh,

Block Development Officer

मोबाइल नं०- 9431818386,

E-mail ID- bdo.amour@gmail.com

पत्रांक.....४३३.....

सेवा में,

जनुगंगा पदाधिकारी,
चायसी।

तिथि :-

प्रखंड अमीर अन्तर्गत ग्राम पलसा में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति का गठन से संबंधित कार्यवाही का प्रेषण।

प्रसंग :-

जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 1651/सा०, दिनांक 01.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रिष्ठयक प्रासंगिक पत्र के आलोक राज्य उच्च पथ सं०- 99 (चायसी-अमीर-बड़ाबुरांज-पिथौलैंक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु पूर्णिया जिलानार्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के लहर समिति वर गठन की कार्यवाही की गई, जो निम्नान्त है :-

कार्यवाही पर्णी के अनुसार :-

- प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमीर की अध्यक्षता में पलसा ग्राम अन्तर्गत वार्ड सं०- 01, 02 एवं 03 के ग्राम पंचायत सदस्य एवं संबंधित ग्राम पंचायत रंगरेखा लालटोली के मुखिया के साथ पलसा ग्राम में बैठक कर अनुसूचित जनजाति की उपलब्धता/आवादी से संबंधित जानकारी ली गई। सभी के द्वारा बताया गया कि संबंधित पलसा ग्राम में अनुसूचित जनजाति की आवादी उपलब्ध नहीं है।
- अनुसूचित जनजाति उपलब्ध नहीं रहने के कारण वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के तहत समिति का गठन संभव नहीं है।

अतः ग्राम पलसा में जायोजित ग्राम सभा की अधिप्रभागित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर देंगी जा रही है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक :- घोषक।

विद्यासागर
प्रखंड विकास पदाधिकारी,
अमीर (पूर्णिया)।

Date _____
Page _____

અનુભૂતિ 21-02-09-2022 ને

લક્ષ્ય વાસોની પ્રફર્માનાની બાબત સા. શ્રીમાન નાનુભૂતાના -
અનુભૂતાની વી કલાકારી રાખે તેવું પણ હો-હો (અનુભૂતા) -
વદ્વારુંંચા - વિલાસની પણ કે કુન્ઠાનુંં ની રીતોનાના વાર
દેખું શુદ્ધિયો છેણાં લગ્નાં બનાયાના છેનોનાની વાં છુદ્ધે વા
ઓની જાન, પ્રસ્તાવ પર F.R.P-2006 કુન્ઠાની પ્રાણ-પણ
નિઃનાન કાર્ય ને એવું વાદુંની કરીની પણ નાનુભૂતાનાની
જાન કરી નિઃના (જાન પ્રયોગનાની જાનની) ઓથીનિઃના.
2006નાના મિયા-2008 કે તાં કાનીની વાં રોડાં ને
દુંગાલો વોન વાનો સી ગાં | બેચો / રિલાની
નબળાન ઉપાલેન દ્વારા

Rohit

અનુભૂતાનાની પ્રાણ-પણ
નિઃના.

1. મુદ્દિયા, વાનો સ્થિતાસાંદર્ભ — ક્રાંતિકા ને જાન

2. વડેલો: 01- વડેલો — અનારકાની (નિઃના, ફોટો)

3- વડેલો: 02 વડેલો — નિઃનાન (નિઃના, ફોટો)

4. વડેલો: 03, વડેલો — ડારસી બેંન (નિઃના, ફોટો)

कुमारी तोसी, बिहार से
अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी
(पूर्णिया) MOB-9473191362



51A
3851
13/10/24
Kumari Tosi, (B.A.S)
Sub-Divisional Officer, Baisi
(Purnea) (Email-sdo.baisi@gmail.com)

पत्रांक... 4413.....

सेवा में

१४/१०/२२
प्रभारी पदाधिकारी
जिला सामान्य शाखा
पूर्णिया :-

की जेठा
मा.
३/१०/२२

प्रसंग :-

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य शाखा,
पूर्णिया।

राज्य उच्च पथ स0-99(बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलबेंक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु पूर्णिया जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति गठन के संबंध में। जिला पदाधिकारी महोदय पत्रांक-1651 / सा०, दिनांक-01.08.22

बायसी दिनांक... ०८/१०/२२

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है, कि पूर्णिया जिलान्तर्गत बनरपुर भौजा के थाना रीटा ने SH-99 पथ (बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलबेंक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण एवं बैसा भौजा के थाना-रीटा SH-99 पथ के (बायसी, अमौर, बहादुरगंज, दिघलबेंक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा के पत्रांक-1338, दिनांक-06.09.22 द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत-रीटा एवं पत्रांक-1365, दिनांक-09.09.22 द्वारा ग्राम पंचायत-रायबेर में वन अधिकार समिति के गठन से संबंधित बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराई गई एवं अनुमंडल स्तरीय उप-खण्ड स्तर की वन अधिकारी समिति से संबंधित बैठक की कार्यवाही की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :—यथोक्ता।

विश्वासमाजन,

०९.१०.२२
अनुमंडल पदाधिकारी,
बायसी।

प्रधानमंत्री, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देसा (पूर्णियाँ)

प्रधानमंत्री
10-09-2022
भनुमण्डल पदाधिकारी
देसा (पूर्णियाँ)

प्रधानमंत्री
10-09-2022
भनुमण्डल पदाधिकारी
देसा (पूर्णियाँ)

देसा / दिनांक ०१-०९-२०२२

प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के देश मौजा के भाग - राष्ट्र # ५४-९९ पथ के किनार बायसी, अमीर बहादुरगंज एवं विधालैंग के उन्नयन/ खोड़ाजात के हाथ द्वारा कारबोली अमीर बहादुरगंज एवं विधालैंग के उन्नयन/ खोड़ाजात के हाथ द्वारा कारबोली अमीर बहादुरगंज पर FRA - 2006 के तहत प्रमाण एवं निर्मात कारन के लिए उन्नयन/ खोड़ाजात अमीर बहादुरगंज एवं विधालैंग (देश अधिकारी की मान्यता) २०१६ तथा नियम २००८ संस्थान नियम २०१२ के तहत समिति का ग्राम के लिए उन्नयन/ खोड़ाजात की मान्यता २०११/ दाता पूर्णियाँ, दिनांक - ०१.०९.२०२२

प्रधानमंत्री कहना है कि पूर्णियाँ जिलान्तरील संघर्ष प्रचायत के देश मौजा के लिए उन्नयन/ खोड़ाजात के किनार बायसी, अमीर बहादुरगंज एवं विधालैंग के उन्नयन/ खोड़ाजात के किनार बायसी, अमीर बहादुरगंज पर FRA-2006 के तहत प्रमाण एवं निर्मात कारन के लिए उन्नयन/ खोड़ाजात अमीर बहादुरगंज पर विधालैंग (देश अधिकारी की मान्यता) अधिनियम २००८ तथा नियम २०१२ के आलोक में सम्बन्धित ग्राम प्रचायत में देश अधिकार समिति का गठन कर देना है।

कृपया प्राप्त स्वीकार कि जाए।

अनुलेखक - दस्तीकरण

विश्वासभाषण

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
देसा (पूर्णियाँ)

प्रतियोजन का नाम-

राज्य उच्च पथ सं०-५५ (वायरी, अमौर, बहादुरगढ़ एवं दिल्ली) पर के
उन्नयन / चौड़ीकरण कार्य हेतु भूमि का उपयोगन प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संराधन नियम 2012
अतर्गत अनापति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - रायबेर

आचल - वैसा, जिला - पूर्णिया

अनापति प्रमाण पत्र

छिंडूर में जिला - पूर्णिया, प्रखण्ड - वैसा, पंचायत - रायबेर, में बायसी, अमौर, बहादुरगढ़ एवं दिल्ली
पथ के उन्नयन / चौड़ीकरण पथ हेतु (शुन्य ०० किमी०) आरक्षित वन भूमि ० (शुन्य) है। इसप्रति वन भूमि परि
योजना का उपयोगन भूमि ० (शुन्य) है। वन भूमि का लोक प्रमाण ०
० (शुन्य) तथा वन पंचायत भूमि ० (शुन्य) है। वन भूमि का लोक प्रमाण ०
पड़ में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन नियंत्रण द्वारा प्रत्यापन करने डेटु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
इस प्रण के विषय में ग्राम पंचायत रायबेर द्वारा दिनांक ०८.०९.२०२२ को जम्मन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत
की बैठक में पंचायत सचिव एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बंध में अनापति प्रमाण पत्र जिर्न करने
हुए प्रस्तुत जानकारी दी गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संराधन नियम
२०१२ के ग्रामसभानों के तहत वन भूमि में आदिवासी अध्यया गैर आदिवासी का काब्जा / कृषि जारी नहीं किया
जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजन का निर्माण हेतु अवैदित वन भूमि पर आदिवासियों के वरन्मरण
जा रहा है। जबकि उपरात ग्राम सभा द्वारा सर्व समति से नियम लिया
अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। जबकि उपरात ग्राम सभा द्वारा सर्व समति से नियम लिया
गया / प्रत्यावरण पारित किया गया है कि ग्राम वैसा (पंचायत-रायबेर) के निवासियों को उक्त वन भूमि
ग्राम प्रयोजन के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचा. न रायबेर
प्रखण्ड - ०१, पूर्णिया

मुखिया
ग्राम पंच राज रायबेर
प्रखण्ड-वैसा (पूर्णिया)

एवण्ड विकास विधायिकी
नसा (पूर्णिया)

२०११ ७.८.११ २११-२१२९
 गोदावरी गोदावरी
 निलंगम पुस्तकालय

पुस्तक "गोदावरी" गोदावरी
 इन्द्राचलमण्डप H २२ अप्रैल २०११
 फॉरेंट - ०८ ०९.४०.८२ ५०

प्रसारित किया जाएगा है।
 ने इस बोधि में दृष्टि रख दी।

प्रसारित किया जाएगा है।
 ने इस बोधि में दृष्टि रख दी।

“ विजय शर्मा ”

509

(b)

प्राप्ति प्राप्तिकारी अधिकारी के नाम -
दिनांक 01.08.2022 के द्वारा आवश्यक
प्राप्ति को उपलब्ध कर लिया गया।
इस अधिकारी की प्राप्ति 3 मिस्रिय 2001
दिनांक 2022 के भारतीय में दिनांक 09.08.22
को ग्राह करने की गई।।।
प्राप्ति 511 33 वर्ष की वार्षिक अमृत
संस्कार विधिवत्तमान प्रवाक के उत्तराधि-
कारी से लिखित विवरण निम्नांकित हैं।।।
को नीचे लिखने के —

स्त्री प्रत्यक्षी श्रीमति अमृता

स्त्री विवाह विवरण

स्त्री शाकाहारी

स्त्री इस्त्री लोक विवाह

आकर्षित विवाही विवाह

भी विवाह विवाह

स्त्री विवाह विवाह

स्त्री विवाह विवाह

८३

568
68

संविधान की विवरण
का अध्ययन
करने की विधि
का अध्ययन करने की विधि
का अध्ययन करने की विधि
का अध्ययन करने की विधि

का अध्ययन करने की विधि
का अध्ययन करने की विधि

प्राचीन
विधि

प्राचीन
विधि

1. नियंत्रित विकास - द्वयवाही विकास

2. अनियंत्रित विकास

इसमें विकास के प्रक्रियाएँ स्वयं संचालित होती हैं। इसमें विकास के अन्तर्गत कई प्रक्रियाएँ होती हैं। जिनमें से कुछ विकास के दृष्टि से अविभागी होती हैं जिनमें से कुछ विकास के दृष्टि से अविभागी होती हैं। जिनमें से कुछ विकास के दृष्टि से अविभागी होती हैं। जिनमें से कुछ विकास के दृष्टि से अविभागी होती हैं। जिनमें से कुछ विकास के दृष्टि से अविभागी होती हैं। जिनमें से कुछ विकास के दृष्टि से अविभागी होती हैं।

3. विकास विकास

4. विकास

5. विकास

6. विकास

7. विकास

8. विकास

9. विकास

10. विकास

11. विकास

12. विकास

13. विकास

14. विकास

15. विकास

16. विकास

17. विकास

18. विकास

19. विकास

91 ~~200~~

92 ~~200~~

93 ~~200~~

94 ~~200~~

95 ~~200~~

96 ~~200~~

97 ~~200~~

98 ~~200~~

99 ~~200~~

100 ~~200~~

101 ~~200~~

102 ~~200~~

103 ~~200~~

104 ~~200~~

105 ~~200~~

106 ~~200~~

505
65



100

100

Pecten p.

101

101

Aca?

102

102

Dr. T. T.

103 - 104

103

Lipid

105 - 106

105

Lipid

107

107

Cysteine

108 - 109

108

Cysteine

110

110

Cysteine

111 - 112

111

Cysteine

113

113

Cysteine

114 - 115

114

Cysteine

116

116

Cysteine

117 - 118

117

Cysteine

119

119


Cysteine


120

120

Cysteine

23
503



- 184  *Chlorodrepanis virens*
- 185  *Chlorodrepanis virens*
- 186  *Chlorodrepanis virens*
- 187  *Chlorodrepanis virens*
- 188  *Chlorodrepanis virens*
- 189  *Chlorodrepanis virens*
- 190  *Chlorodrepanis virens*
- 191  *Chlorodrepanis virens*
- 192  *Chlorodrepanis virens*
- 193  *Chlorodrepanis virens*
- 194  *Chlorodrepanis virens*
- 195  *Chlorodrepanis virens*
- 196  *Chlorodrepanis virens*
- 197  *Chlorodrepanis virens*
- 198  *Chlorodrepanis virens*

b1
501

140 शेंगे विद्युत

141 विद्युत

142 विद्युत

143 विद्युत

144 विद्युत

145 विद्युत

146 विद्युत

147 विद्युत

148 विद्युत

149 विद्युत

150 विद्युत

151 विद्युत

152 विद्युत

153 विद्युत

154 विद्युत

155 विद्युत

50
500

239 ~~23~~ 230

240 ~~24~~ 240

241 ~~24~~ 241

242 ~~24~~ 242

243 ~~24~~ 243

244 ~~24~~ 244

245 ~~24~~ 245

246 ~~24~~ 246

247 ~~24~~ 247

248 ~~24~~ 248

249 ~~24~~ 249

250 ~~24~~ 250

251 ~~24~~ 251

252 ~~24~~ 252

253 ~~24~~ 253

254 ~~24~~ 254

255 ~~24~~ 255

(1)

जायीलंब, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा (पूर्णियाँ)

07/09/22-

पत्रांक 133.8

प्रधानमंत्री

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

सेवा में

अनुमंडल पदाधिकारी.
बायसी (पूर्णियाँ)

देश / दिनांक 6.9.22

विषय :-

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पनरपूर मौजा के थाना - रीटा में SH-99 पथ के किनारे बायसी, अमीर, बहादुरगंज एवं दिघलबैक पथ के उन्नयन / छोड़ीकरण पथ हेतु उन मुमिं आवश्योजन प्रस्ताव पर FRA - 2006 के तहत प्रभाग पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत उन निवासी (उन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम 2008 संसोधन नियम 2012 के तहत समिति का गठन के संबंध में।

प्रसंग -

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक - 1651 / साठ. पूर्णिया, दिनांक - 01.08.2022

महाशय,

उपरोक्त विवाहान्तरता कहना है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पनरपूर मौजा के थाना - रीटा में SH-99 पथ के किनारे बायसी, अमीर, बहादुरगंज एवं दिघलबैक पथ के उन्नयन / छोड़ीकरण पथ हेतु उन मुमिं आवश्योजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रभाग पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत उन निवासी (उन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 संसोधन नियम 2012 के आलोक में सम्बन्धित ग्राम पंचायत में उन अधिकार समिति का गठन कर देजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकर कि जाए।

अनुलेखन - ख्योक्ति

विष्यासमाजन

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा (पूर्णियाँ)

(59)

०७/०९/२२

पत्रांक १३३८

उपर्युक्त

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

संवा. में

अनुमंडल पदाधिकारी,
बायसी (पूर्णियाँ)

बैसा / दिनांक ६.९.२२

विषय :-

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पनश्पुर भीजा के थाना - रोटा में SH-99 पथ के किनारे बायसी, अमीर, बहादुरगंज एवं दिघलखें पथ के उन्नयन / ढीलीकरण पथ हेतु वन मुनि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA - 2006 के तहत प्रभाग पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 संसोधन नियम 2012 के तहत समिति का गठन के संबंध में।

प्रसंग -

महाशय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कहना है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पनश्पुर भीजा के थाना - रोटा में SH-99 पथ के किनारे बायसी, अमीर, बहादुरगंज एवं दिघलखें पथ के उन्नयन / ढीलीकरण पथ हेतु वन मुनि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रभाग पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 संसोधन नियम 2012 के आलोक में सम्बन्धित ग्राम पंचायत में वन अधिकार समिति का गठन कर भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार कि जाए।

अनुलेखक — यथोपति

विश्वासमाजन

६.९.२२
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

परियोजना का नाम—

राज्य उत्तम पथ नं०-०० (बागसी, अग्रीर बहादुरगंज एवं दिघलैंडेक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु भुमि का अपरियोजन प्रस्ताव

दन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संसोधन नियम
2012 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — रीटा

अंचल — वैसा, जिला :- पूर्णियाँ

अनापति प्रमाण पत्र

गिहार में जिला— पूर्णियाँ, प्रखण्ड— वैसा, पंचायत— रीटा में बागसी, अग्रीर, बहादुरगंज एवं दिघलैंडेक पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण पथ हेतु (शुम्ब ०० कि०मी०) अरकित वन भुमि ० (शुम्ब) है। सिविल सायन भुमि ० (शुम्ब) तथा वन पंचायत भुमि ० (शुम्ब) हेतु अधोत कुल भुमि ० (शुम्ब) है। वन भुमि वन साक निर्माण के पथ में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन भुमि ० (शुम्ब) है। वन भुमि वन साक निर्माण के पथ में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन भुमि ० (शुम्ब) है। उक्त प्रकरण के विषय में मंत्रालय द्वारा प्रत्यापन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रीटा ह्याता दिनांक ०३.०९.२०२२ को सम्पन्न द्वारा लगा / ग्राम पंचायत की दैतक में पंचायत सचिव एवेन्टी द्वारा आवेदित वन भुमि के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र दैतक में पंचायत सचिव एवेन्टी द्वारा आवेदित वन भुमि के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र दैतक में पंचायत सचिव एवेन्टी द्वारा आवेदित वन भुमि में आदिवासी अद्या गैर नियम २००८ संसोधन नियम २०१२ के प्रावधानों के तहत वन भुमि में आदिवासी अद्या गैर नियम २००८ संसोधन नियम २०१२ के प्रावधानों के तहत वन भुमि में आदिवासी कार्य नहीं है। उक्त प्रकरण सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं है। उक्त प्रकरण सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं है। उक्त प्रकरण सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त परियोजना के विरोध हेतु आवेदित वन भुमि पर अद्या गैर नियम २००८ संसोधन नियम २०१२ के हनन नहीं हो रहा है। परंतु राज्य उच्च पथ अद्या गैर नियम २००८ संसोधन नियम २०१२ के विनारे घर बनाकर निवास कर लगभग २५ बहुसुधित जाति के परिवार जो पथ नं०-०९ के विनारे घर बनाकर निवास कर रहे हैं, प्रभावित होंगे। घर्वा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव परियोजना के विरोध हेतु दिये जाने पर कोई जापति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

पठा साचव
ग्राम पंचायत राज रीटा
प्रखण्ड-वैसा, जिला-पूर्णियाँ

रुत जहू
मुखिया
ग्राम पंचायत राज रीटा
प्रखण्ड-वैसा (पूर्णियाँ)

"राजा अमरा"

गिरा अवधिकारी, मुहिमी के पासक- १६५।
 दिनांक ०४-०९-२०१७ के द्वाया अनुसूचित जानि हैं
 उत्तराखण्ड जनजाति और पूर्वपरागार वर्षावाली
 देश अधिकारों की सांख्यक) अधिनियम १४०६ तथा
 नियम २००४ के आलोक में आज, दिनांक ०५-०९-२२
 के मुहिमी श्रीमति रघुराज जहाँ की वीक्षण
 में श्राप समझाया गया थिया किया गया।

वेठों में निम्नलिखित प्रश्नाव वार्ता
 किए गए।-

प्रश्नाव है- पौराण वन अधिकार समिति का
 गठन किया गया। जिसमें न्यून दूसरी सर्वहस्ती
 से निम्न लिखित उपचित्र आमित किये गये हैं।

	राजा अमरा
(१) क-वा लाल हरिहर	अद्यता
(२) रघुराज उमर राम	संविव
(३) ज्योतिष हरिहर	सदस्य
(४) गनोज "	"
(५) देवीहाट "	"
(६) भलारी देवी	प्रतिकृदान
(७) बोद्धी देवी	" "
(८) २-वी देवी	" "
(९) अग्निता देवी	" "

(10) शुभ्मी वेदी

प्रस्ताव दृष्टि-०५१- जन अधिकार समिति भवन में
कला संग्रहालय विनायक नवा संविधि प्री रामेश्वर उपरोक्त
वास के वर्ष सम्बन्धि दृष्टि-०५२- गमा।-

प्रस्ताव दृष्टि-०५३- जन अधिकार समिति वैठाक में प्रश्नोत्तर दैप्तिय
द्वारा आवेदित वर सुनि वे दैप्तिय में
जनानन्दि प्रमाणा एवं निर्वाचन वैठाक में सुनान चर्चा
की गई। इस जन अधिकार समिति दृष्टि-०५४ वैठाक में
२००२ के प्रावधानों वे तत्काल आवेदित वर सुनि में
अनुद्धनित जापि हो अनुद्धनित जनानन्दि जा लला।
कृषि कार्य नहीं है।

* उपलिपि वाचनों का विवरण देता है। * उपलिपि वाचनों का विवरण देता है।
* उपलिपि वाचनों का विवरण देता है। * उपलिपि वाचनों का विवरण देता है।
* उपलिपि वाचनों का विवरण देता है। * उपलिपि वाचनों का विवरण देता है।

(1) लक्ष्मी वृग्मा ५५०

(2) रामचन्द्र राम

(3) विठ्ठल कुम

(4) लक्ष्मी विठ्ठल विठ्ठल

(5) लक्ष्मी विठ्ठल विठ्ठल

(6) लक्ष्मी विठ्ठल विठ्ठल

(7) लक्ष्मी विठ्ठल विठ्ठल

(8) लक्ष्मी विठ्ठल विठ्ठल

(१) श्री. अशोक देवी

राजिका देवी

(२) कंदनी देवी

(३) लुम्बु लिम्बु देवी

मीन देवी

(४) रवी देवी

(५) टीन की देवी

(६) श्री. गुलब देवी

(७) श्री. तस्मा देवी

(८) विष्णु देवी

(९) चूल्हा देवी

(१०) रण पर कमारुष

मेली देवी

(११) श्री. लक्ष्मी देवी

(१२) श्री. मुखी देवी

(१३) श्री. शनहरी देवी

(१४) मेहुल देवी

(22)



गुणा

(23) गुणात्मकी



आ त्रिः

सौपलोत्र लक्षण

(24) विनोदशास्त्र दर्शन

विनोदशास्त्र

(25) गुणापूर्व

गुणापूर्व

(26) गुणापूर्व

गुणापूर्व

(27)

गुणापूर्व

(28)

गुणापूर्व

(29)

गुणापूर्व

(30)

गुणापूर्व

(31)

गुणापूर्व

(32)

गुणापूर्व

(33)

गुणापूर्व

(34)

गुणापूर्व

(35)

गुणापूर्व

(36)

गुणापूर्व

(49) तुरेय चम

(50) गोदावरी

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

गोदा चम

गोदा
चमगोदा
चमगोदा
चम

मधुमत्ते गोदा चम

गोदा
चम

गोदा

गोदा चम

गोदा चम

रेत देवी

आरती देवी

मिश्र चम

शिव चम

① Sadeh Akhter (सदेह अक्तर नं. 12)

② कामला देवी

③ फैज़ मस्तुक रत्नमाला (फैज़ १४)

④ सुनिल चंद्रशेखर गोप्या

⑤ बिल्लू राजा

⑥ गोप्या शंखा

⑦ सोनिला देवी ७०

⑧ Rajin Kumar

⑨ दिव्या

⑩ गोप्या देवी

⑪ अमृता देवी

⑫ उमा देवी

⑬ रामेश का राम

⑭ राति

⑮ इशा देवी

दिव्या

गोप्या

दिव्या

दिव्या

गोप्या

⑨ श्री ह-१२३२

⑩ अमा
सरायन

⑪ ३१० फ्ट
गोदावरी

⑫ अमा
सरायन

⑬ रुद्राम

⑭ रामल देवी

⑮ म. र. राजेश असान

⑯ सर्वीता चाहुड़ (पर्सी चाहुड़ वाई चाहुड़ लाल)

⑰ गिरा देवी

⑱ लंगो देवी

⑲ महाराजा अमरा

⑳ जरोन देवी

㉑ Rohit Kumar Ram.

㉒ Bowra

㉓ अणिश म. र. राजेश

㉔ सुमन कमारी

१५ रुद्रा कुमारी

१६ राधिका कुमारी

१७ किरण कुमारी

१८ अनिल कुमार शर्मा

१९ अ. विजय कुमारी

२० अ. विजय कुमारी

२१ अ. विजय कुमारी

२२ प्रदीप शर्मा

२३ सुरभिना शर्मा

२४ राहुल कुमार

२५ अ. विजय कुमारी

२६ मोहनी बटेली

२७ अंबिल कुमारी शर्मा

२८ जाहांगीर

२९ अ. विजय कुमारी शर्मा

३० असमत शुभा

(12) भैरवामती

(13) अफसोज

(14) वार्तिक

(15)

(16) गुरुभक्ति कटा

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

मृगी
ग्रहण

प्रतिकृति

(131) आरती देवी

(132) भैरविनाय

(133) शंकर

(134) राजी

(135) मुनिमारु

(136) लक्ष्मी

(137) जगद्गारु

(138) सप्तमी

(139) शत्रुघ्नि

(140) लक्ष्मा देवी

(141) रुपा देवी

(142) Romesh Gupta (

(143) Rupa Devi

(144) Nachikumar

(145) Amil n.

(146) अमित

3014

— 10 —

— 1 —

— 1 —

西汉书

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

संग्रहीत दिन: १५-१२-२०२३

—
—

卷之三

卷之三

Section 3

— 8 —

200

卷之三

卷之三

A5

प्राप्ति	विवरण
प्राप्ति	विवरण

(16) दार्शीम

(17) पलिकाल

(18) मतदाता छाता

(19) वहान उपचाम

(20) मेहमाननुक

(21) मोहम्मेदबुव

(22) गुरुमुख

(23) ग्रामसील उपचाम

(24) बिंग

(25) अल्लामुगार चौबाटे

(26) राम साह

(27) अमरजीत चौहान

(28) विजय कुमार

(29) रमन चौहान

(30) मनोज कुमार

(31) तोली चौहान

(32) अमरल चौहान

(180) लेटेन शास्त्र

(181) दुर्गामा

(182) ज्ञानीन

(183)

(184)

(185)

(186)

(187) असाध आलम

(188) वज्रेनीन

(189) रात न रात

(190) यैरेव आलम

(191)

(192)

(193)

(194)

(195) feier. day

(196) निकान आलम

(18) फार्मला ग्राहर

(19) दूरभास

(20) फुलसाली

(21) अवरकर शिल्प

(22)

(23)

(24)

(25) संस्कृत विद्या

(26) Raju Sonar

(27)

(28)

(29) जयाधर सोनार

(30)

(31) Maulika Devi

(32) रमी केबी

(33) रमेश केबी

(34) निष्ठा गोप्ता

(21)

رکھن

(22)



(23)

پت

(24)



(25)

Noor Star

(26)

G-14

(27)



(28)



(29)

Shakar Kuan

(30)



(31)



(32)



(33)



(34)



(35)



(36)



(37)



(231) मृदुला वार्मन

(232) अर्जुन

(233) शुभेश्वरी

(234) अमित

(235) ब्रह्मा द्वितीय

(236) गोविंद

(237) RAHIL.

(238) शशांक चूपाल

(239) देवता

(240) अंगूष्ठा
शुभेश्वरी का नाम

(241) अंगूष्ठा वार्मन

(242) योशी

(243) श्रीराम वार्मन

(244) विक्रम

(245) अंगूष्ठा भूमिकेवी

(246) अंगूष्ठा राजीव देवी

(247) अंगूष्ठा अनुष्ठानेश्वरी

(અ) ડોચાણ દેવી

(20) Komal Sagar

(21)  કોમલ દસ્તીના

(22) Khambhat - Kanku

(23)  કોમલી દેવી

(24)  કોમલી પ્રસાદ સોનાર

(25) મહનાયાલ સીનાર

(26) બેંકો દેવી

(27) Bajwa Bawarchi

(28)  કોમલી આંદોળોની

(29)  કોમલી કરૂંપાટુમા

(30)  જગપાલ લિલ

(31)

(32)  કોમલી એચિયન કેરોણી

(33)  કોમલી હાર્દિકની

(34) રસ્બા વ્ય

(35)  કોમલી રસ્બા કેરોણી

264

त्रिविति

265

आवि.

266

स्त्रीलोक लिंग

स्त्रीलोक

267

त्रिविति

268

निर्वाचन लिंग

269

~~स्त्रीलोक~~

270

स्त्रीलोक

271

प्रदान लिंग

272

निर्वाचन

273

निर्वाचन

274

निर्वाचन

275

निर्वाचन

276

निर्वाचन

277

निर्वाचन

278

निर्वाचन

279

निर्वाचन

280

निर्वाचन

निर्वाचन



- (261) *Scutellaria*
- (262) *Scutellaria*
- (263) *Scutellaria*
- (264) *Scutellaria*
- (265) *Scutellaria*
- 1 (266) *Scutellaria*
- (267) *Scutellaria*
- (268) *Scutellaria*
- (269) *Scutellaria*
- (270) *Scutellaria*
- (271) *Scutellaria*
- (272) *Scutellaria*
- (273) *Scutellaria*
- (274) *Scutellaria*
- (275) *Scutellaria*
- (276) *Scutellaria*
- (277) *Scutellaria*
- (278) *Scutellaria*
- (279) *Scutellaria*
- (280) *Scutellaria*
- (281) *Scutellaria*
- (282) *Scutellaria*
- (283) *Scutellaria*
- (284) *Scutellaria*
- (285) *Scutellaria*
- (286) *Scutellaria*
- (287) *Scutellaria*
- (288) *Scutellaria*
- (289) *Scutellaria*
- (290) *Scutellaria*
- (291) *Scutellaria*
- (292) *Scutellaria*
- (293) *Scutellaria*
- (294) *Scutellaria*
- (295) *Scutellaria*
- (296) *Scutellaria*
- (297) *Scutellaria*

291

virgo ~~soft~~

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

virgo ~~soft~~*virgo**virgo* ~~soft~~*virgo**virgo* ~~soft~~*virgo**virgo* ~~weakly~~*virgo* ~~soft~~*virgo* ~~soft~~*virgo* ~~soft~~*virgo* ~~soft~~*virgo* ~~soft~~*virgo* ~~soft~~

(35) Agar

(36) Kalon

(37)

f

(38) ZAFAR

(39) मराठोदीन

(40) निर्मल

प्रस्तुति सं०-०५:- वन अधिकार सभियों, हारा वाजपेयी से
 पूजा (वापसी, अक्षौर, कट्टाइ) गोपनीयता के उनमें/
 -पूजीकरण के रूप में लगाया एवं अनुसुन्धान जारी रखा
 जेसामान के प्रशासित गरिवाहों की सुरक्षा प्रबल्कार
 की आवश्यकता के साथ वे वन अधिकार सभियोंहारा
 सर्वोच्चमन्त्र से वनपुर (राँची) शहर उ०-०१ परस्त
 (वापसी, अक्षौर, कट्टाइ) गोपनीयता के
 उनमें/ -पूजीकरण कार्य करने वाले दर्शकों के
 सहस्रदा वी ग्रामों को बागवि घर्ण नहीं किया
 जाया।

मुख्यमानी श्रीमान रघु जही जी के-

स्वामस्वयनवाद वालों के पञ्चवार लैंडिंग की कार्यक्रमी
 समर्पण की गई



१५/०७/२०२२

अगले जही

४० संविध

मुख्यमानी

गोपनीयता वाले वर्ग वी

गोपनीयता वाले वर्ग वी

५/७/२२

प्रशासित वी

प्रशासित वी

A-76
26

Date _____
Page _____ (2)

ग्राम किनार - १५/०९/२२ की अनुमंडल सहायिकारी
बाथसी वी अवयवस्था में पनरपुर गांजा के बाग़ - रोटा
में डी-ष्ट्रक्टर के किनारे (बाधी - अगार - दिलावें) पथ के
उ-वर्तन / चौरीबाज़ कार्ब एवं बैंगा गांजा के छाना - रोटा
२४-७७ पथ के किनारे (बाधी) - अगार - दिलावें) पथ के उ-वर्तन
पौड़ीउड़ाण कार्ब के परिसरों जाना के निश्चित बन आयि
अपशोधन होते F.R.M - २०८८ के तहत प्रभाव पर लिंगर
ठरने के लिए अनुद्धरित गांजा अ-व वर्तन वर्तन
निवासी (वर्तन अवयवों की गांजा) अधिनियम २००६ तक
नियम २००४ के तहत अनुमंडल द्वारा पर उपलब्ध
स्तर की बन अधिकार रखती है अब एवं अपार्टमेंट
सर्किन में बैंड आकुर ने गांजा, जिसे जिस पैचाघर
बैंगा पहाड़ी, पुरिया डारा बैंगा बैंगा के लिए नामित
एवं अल्प विकास पहाड़ीवाली बैंगा उपलिखत है।

✓ १५/९/२२
अनुमंडल पहाड़ीवाली
जिला पैचाघर

प्रत्येक विकास पहाड़ीवाली, बैंगा -

15/9/22

संकेत - श्री रमेश लाल (मुख्यमान) - गोपेश्वर
माला कुमारी - 9006789461

संकेत - अमरि रेठ देवी (पंचालेश्वर) - १८१ मा.
माला, गोपेश्वर - 9631027653


संकेत - मो. रमेश लाल (मुख्यमान), (पंचालेश्वर).
माला - ८०८४०६४३२५

प्र०-१) अनुमंग पठायिकारी, जामसी व्हरा उपरिवर
पक्ष किंवा बलायिकारी, केला एवं उपरिवर लाभारी
का हवागत किया जाया एवं SH-७५ (बोमदी-मिट्टी-मिट्टी)
पद्धति ते उन्नयन / चौड़ीकाल काढ़े हेठु मुदि अपयोजन हेठु
FRA-2006 के तहन यह समाप्ति के अनुमंग लाभारी
उपरिवर लाभ की बन अधिकार शिविर का गठन
किया जाया जो निम्नलिखित है

- (१) अनुवर्धन - अनुमंग पठायिकारी, बाबरी
- (२) सहाय्य - श्री रमेन्द्र छोड़, मुखिया (प्र.प.क्षिप्त)
- (३) सहाय्य - लीगर रेणु हेठी (प.स.लाभारी बोट)
- (४) सहाय्य - श्री. हर्षलगुहीत (प.स.लाभारी लाभी)

प्र०-२) पक्ष पठायिकारी, बैंगा के पत्रांड - १३६५
दिनांक - ०६.०९.२२ डाटा एवं बिंदुर मैजा - परशुराम, भाग-रौद्रा
एवं पत्रांड - १३६५, दिनांक - ०९.०९.२२ डाटा केला मैजा
के आगा-रौद्रा SH-७७ (बाबी). अमौर- (मिट्टी-मिट्टी). पद्धति ते
उन्नयन एवं चौड़ीकाल काढ़े हेठु एवं बिंदुर मैजा-भाग
की समि केली देरे एक्स्ट्रूड किया जाया, जिस अनुमंग
अधीक्षण-प्र०-७५ सहिति के एक्स्ट्रूड अपयोजन / अन्नप्रसाद
के रूपमें में प्रस्ताव देवा जाया। डि-वी. सहाय्यो
डाटा बोट आपस्ति समि जी जाया।
मुदि के अपयोजन हेठु FRA-2006 तथा निम्न
के तहन SH-७७ (बाबी), अमौर- (मिट्टी-मिट्टी) पद्धति ते
उन्नयन / चौड़ीकाल काढ़े हेठु अन्नप्रसाद के साथ प्रस्ताव
पारित किया जाया।

प्र०-३) बन अधिकार शिविर डाटा परशुराम मैजा के भाग
रौद्रा एवं बैंगा मैजा के आगा-रौद्रा में SH-७७
माधवी- अमौर- (मिट्टी-मिट्टी) पद्धति ते उन्नयन / चौड़ीकाल काढ़े
हेठु किसी भी व्यक्तियों डाटा बोट अन्नप्रसाद की
की जाया।



पर्यावरण के साथ आज की सेटिंग की
कार्यवाची सुमाप्र वी जानी है।

✓ 15.05.20
अनुसिंह पश्चात्याकृति
कार्यवाची